रजिस्ट्री सं. डी. (डी.पुन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20 1990/फाल्गुन 29, 1911
No. 111] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 1990/PHALGUNA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1990

सा.का.नि. 144(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लेखा कार्मिक के पदों पर भर्ती की पद्धति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :,—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (लेखा कार्मिक पद) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. विद्यमान कर्मचारियों का आमेलन/विनियमन :—(1) इन नियमों के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को या तो स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर, पद धारण कर रहे हों और जो इन नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव रखते हों और जिन्हें विभागीय प्रोन्नति समिति उपयुक्त समझती हो, अपनी-अपनी श्रेणियों में आमेलित/विनियमित किए जाने के लिए इस शर्त के अधीन होंगे कि ऐसे व्यक्तियों ने आमेलित किए जाने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया हो और उनके मूल विभाग को अधिकरण में उनके आमेलन पर कोई आपत्ति न हो।

(2) उपनियम (1) में वर्णित अधिकारियों की ज्येष्ठता का अवधारण संबंधित पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा :—

परन्तु यह कि एक ही स्रोत से भर्ती किए गए अधिकारियों की मूल विभाग में उनके द्वारा धारित पदों पर उनकी ज्येष्ठता को विक्षुब्ध नहीं किया जाएगा ।

(3) आमेलन के लिए व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा ।

6. निरर्हता :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

अधिकरण में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. शिथिल करने की शक्ति:—(1) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को उप लेखा नियंत्रक के पद के लिए व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

(2) जहां अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हों उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को "लेखा अधिकारियों, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार" के पदों के लिए व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. उपलेखा नियंत्रक	1* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। वह वर्ष जिस में उपदर्शित संख्या विद्यमान हो लिखा जाना चाहिए ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	3000-100-3500-125-4500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
1. प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।	प्रोन्नति : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण संगठन के ऐसे लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में कुल मिलाकर 10 वर्ष सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : महालेखा नियंत्रक के केन्द्रीय विभागीकृत लेखा संगठन के उपलेखा नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी जिन्होंने महालेखा नियंत्रक, केन्द्रीय सकारी लेखा संगठन या रेल लेखा सेवा में डाक और तार लेखा उप-लेखा नियंत्रक की श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष सेवा की हो । (2) ऐसे लेखा अधिकारी जिन्होंने महालेखा नियंत्रक, केन्द्रीय सरकारी लेखा संगठन या रेल लेखा सेवा में लेखा अधिकारी की श्रेणी में न्यूनतम 10 वर्ष सेवा की है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष—अध्यक्ष 2. सदस्य—सदस्य 3. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी—सदस्य	आवश्यक नहीं

1	2	3	4	5	6	7
2. लेखा अधिकारी	16* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। वह वर्ष जिसमें उपदर्शित संख्या विद्यमान हो लिखा जाना चाहिए ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित	2375-75-3200-चयन ई.रो.-100-3500 रु.	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा ।	

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष ।

11	12
2. प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	(क) प्रोन्नति ऐसे कनिष्ठ लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण : (i) किसी भी संगठित लेखा/विभाग के नियमित लेखा/लिखा परीक्षा अधिकारी । (ii) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या समतुल्य और जिनके पास रोकड़ और लेखा तथा बजट कार्य का अनुभव हो । या (iii) 1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु./2000--3200 रु. के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ लेखा अधिकारी/लिखा परीक्षा अधिकारी या समतुल्य जिन्होंने क्रमशः नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक, रक्षा लेखा, डाक और तार, लेखा रेल विभाग के अधीन 8/5 वर्ष नियमित सेवा की हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष उपाध्यक्ष--अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट--अध्यक्ष 2. वित्तीय सलाहकार और नियंत्रक लेखा अधिकारी--सदस्य 3. रजिस्ट्रार--सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

1	2	3	4	5	6	7
3 कनिष्ठ लेखा अधिकारी	16* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । वह वर्ष जिसमें उपदर्शित संख्या विद्यमान हो लिखा जाना चाहिए।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)	1640-60-2600-द. रो.-75-2900 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
(क) 50% रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (ख) 50% प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	(क) प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो । (ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए ऐसे अधिकारी या अधीनस्थ लेखा सेवा के लेखाकार/विविध लेखा संगठनों के कनिष्ठ लेखा अधिकारी । (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार की सेवा में से ऐसे सहायक जिन्होंने 5 वर्ष सेवा की हो। उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया समतुल्य या जिनके पास रोकड़ लेखा और बजट कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो--(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित उपाध्यक्ष--अध्यक्ष 2. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी--सदस्य 3. रजिस्ट्रार--सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
4. ज्येष्ठ लेखाकार	16* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । वह वर्ष जिसमें उपदर्शित संख्या विद्यमान हैं लिखा जाना चाहिए ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

IndiaCode

11	12
(क) 50% रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (ख) 50% प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	(क) प्रोन्नति: कनिष्ठ लेखाकार जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है । (ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण और विभागीकृत लेखा संगठन के ज्येष्ठलेखाकार/भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-विभाग के लेखापरीक्षक, रक्षा डाक और तार और रेल के महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में उस श्रेणी के ज्येष्ठ लेखाकार (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के न हो सकने पर विभागीकृत लेखा-पद्धति या रक्षा, डाक और तार या रेल के महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन ऐसे लेखा परीक्षक जिनके पास उस श्रेणी में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो । (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा कॉडर के ऐसे सहायक जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित राकड़ और लेखा प्रशिक्षण तीन मास तक प्राप्त किया हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित उपाध्यक्ष--अध्यक्ष 2. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी--सदस्य 3. रजिस्ट्रार--सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
5. कनिष्ठ लेखाकार	15* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। वह वर्ष जिसमें उपदर्शित संख्या विद्यमान हो ही लिखा जाना चाहिए ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित)	1200-30-1560-द.रो.-40-2040ह.	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

11	12
(क) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा निम्न श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास रोकड़ और लेखा का अनुभव हो।
(ख) 50% सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	(i) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण: ऐसा कनिष्ठ लेखाकार जिसने महालेखा नियंत्रक, डाक और तार लेखा, रक्षा और रेल लेखा के कार्यालय में विभागीकृत लेखा पद्धति में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो या महालेखा नियंत्रक के अधीन लेखा परीक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो। (ii) उपरोक्त (i) के न हो सकने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक या अधीनस्थ कार्यालय के अधिकारी जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : 1 वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी—अध्यक्ष 2 रजिस्ट्रार—सदस्य 3 उप रजिस्ट्रार—सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए-12018/1/88-ए. टी.]
श्रीमती पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi the 20th March, 1990

G.S.R. 144(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (3 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules regarding the method of recruitment to Accounts Personnel posts in the Central Administrative Tribunal, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Accounts Personnel posts) Recruitment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts mentioned in the column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to of 4 of the said Schedule.

4. Methods of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the schedule aforesaid.

5. Absorption/regularisation of existing employees(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons holding the posts on the date of commencement of the rules either on transfer or on deputation basis and who fulfil the qualification and experience laid down in these rules and who are considered suitable by the Departmental Promotion Committee shall be eligible for absorption/regularisation in the respective grade subject to the condition that such perrsonts exercise their option for the absorption and that their parent Department do not have any objection to their being absorbed in the Tribunal. (2) The seniority of officers mentioned in sub-rule (1) shall be determined with reference to the dates of their regular appointment to the posts concerned:

IndiaCode

Provided that the seniority of officers recruited from the same source and in the posts held by them in the parent Department shall not be disturbed.

(3) The suitability of persons for absorption may be considered by a Departmental Promotion Committee.

6. Disqualification—No Person. —(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;
shall be eligible for appointment to any post in the Tribunal :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal laws applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—(1) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax. any of the provisions of perons for the post of deputy Controller of Accounts. (2) Where the Chairman, Central Administrative Tribunal is of the opinion that it is necessary or expedient ao to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons for the posts of Accounts Officers, Junior Accounts Officer, Senior Accounant and Junior Accountant.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classifictaion	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Deputy Controller of Accounts	1* (1989)	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 3000-100-3500-125-4500.	Selection

*Subject to variation dependent on work-load. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.

Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the Central Civil Services (Pensions Rules), 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various Methods
9	10	11
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation

IndiaCode

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	14	14
Promotion from the Accounts Officer from Central Administrative Tribunal organisation with 10 years total service in the grade. (1) failing above transfer on deputation officers working as Deputy Controller of Accounts from the Central Depratmentalized Accounting Organisation of the Controller General of Accounts with minimum of 2 years of service in the grade of Deputy Controller of Accounts under C.G.A., C.G.O.A., P & T. Accounts or Railway Accounts Service. (2) The Accounts Officer with minimum of 10 years service in the grade of Accounts Officers in the C.G.A., C.G.O.A. P & T Accounts and Railway Accounts.	DPC.— 1. Chairman -Chairman 2. Member—Member. 3. Financial Adviser and Chief Accounts Officer—Member.	Not necessary.

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Accounts Officer	16* (1989)	General Central Services, Group 'B' Gazetted.	Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation.	(A) Promotion : Junior Accounts Officers with 8 years regular service in the grade (B) transfer on deputation or Transfer (i) Regular Accounts/ Audit Officers from any of the organised Accounts Department. (ii) Officers under the Central Government holding analogous posts on regular basis who have undergone training in cash & Accounts work in ISTM or equivalent and possess experience in Cash & Accounts & Budget Work OR (iii) Junior Accounts Officer/ Accounts Audit Officers or equivalent in the pay scale of Rs. 1640-60-2600-EB-75--2900/Rs. 2000-3200 with 8/5 years regular service respectively under C & AG, CGA, Def. A/cs, P&T, Railways A/cs, Department. The period of deputation shall not exceed ordinarily three years.	DPC : 1. Vice Chairman nominated by Chairman — Chairman. 2. FA & CAO —Member. 3. Registrar–Member	Consulltation with UPSC not necessary.

1	2	3	4	5	6	7	8
33 Junior Accounts Officer	16* (1989)	General Central Services, Group 'B' (Non-gazetted)	Rs. 1540-60--2600-EB-75-2900	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on work load. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	(A) 50% vacancies by promotion failing which by transfer on deputation (B) 50% by transfer on deputation	(A) Promotion Senior Accountants with 5 years regular service in the grade, (B) Transfer on deputation : Officials under the Central Government holding analogous post or SAS Accountant, Junior Account Officers in the various Accounting organisations. (C) Failing (A) & (B) above Assistants with 5 years services/ UDC of Central Government service with 10 years service in the grade who have undergone cash and Accounts training in the ISTM or equivalent or possess 3 years experience of cash accounts and Budget works. The period of deputation shall not exceed ordinarily three years.	DPC : 1. Chairman Vice-Chairman nominated by the Chairman — Chairman 2. FA & CAO — Member. 3. Registrar — Member	Consultation with UPSC not necessary

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Senior Accountant	*16(1989)	General Central Service Group 'C'	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	(A) 50% by promotion failing which by transfer on deputation (B) 50% by transfer on deputation	(A) Promotion : Junior Acctt. with 5 years regular service in the grade (B) By transfer on deputation/ transfer : Senior Acctt. of the Departmentalised Accounting organisation/Auditor of the Indian Accounts Department Senior Acctt. in CGA, Defence, P & T and Railways in that grade.	DPC : 1. Chairman/Vice-Chairman nominated by the Chairman — Chairman 2. FA & CAO — Member 3. Registrar—Member	Not applicable.

9	10	11	12	13	14
			(C) Failing (A) & (B) above, Junior Acctts in the Departmentalised Accounting system, or under CGA, Accounts Department of Defence, P & T or Railways or Auditor under CAG with a minimum of 5 years experience in the grade. (D) Assistant in C.S.S. cadre with 3 months cash and Accounts training conducted by ISTM. The period of deputation shall not exceed three years.		

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Junior Accountant	15* (1989)	General Central Servces Group 'C' (Non-gazetted)	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on work load. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	(A) 50% by promotion failing which by transfer on deputation. (B) 50% direct recruit failing which by transfer on deputation	Promotion : LDC with 5 years regular service in the grade with cash and Accounts experience. (i) Transfer on deputation. Junior Accountant experienced in the departmentalized Accounting system under CGA, P&T A/cs, Defence & Railway A/cs, or Auditor under CGA (ii) Failing above UDC in C.S.S. or subordinate offices with Cash & Accounts training conducted by the ISTM. The period of deputation shall not exceed ordinarily three years.	DPC : 1. FA & CAO — Chairman 2. Registrar—Member 3. Deputy Registrar—Member.	Not applicable.

[No. A-12018/1/88-AT]

SMT. P.V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990

IndiaCode